संख्या– 1736 / xiii / 04–5(18)2004

प्रेषक,

डा0पी0एस0गुसांई,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

अपर कृषि निदेशक,
उत्तरांचल।

कृषि एवं कृषि विपणन अनुभाग   देहरादून   दिनांक 16 सितम्बर, 2004

विषय– कृषि विभाग के सामान्य अधिष्ठान योजना के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

आपके पत्र संख्या 1987 / लेखा / सामा0अधि0 / 2004.05 दिनांक 3 सितम्बर 2004 के क्रम में कृषि विभाग की सामान्य अधिष्ठान योजना (आयोजनेत्तर) के अंतर्गत निम्नांकित विवरण के अनुसार रूपयें 1750 हजार(सत्रह लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2004–05 में व्यय की व्यवस्था हेतु निम्नांकित विवरण के अनुसार धनराशि आपके निवर्तन पर रखने की महामहिम श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

क्र0सं0	मानक मद	धनराशि (हजार रूपयें)
1	07–मानदेय	50
2	11–लेखन सामग्री	300
3	12–कार्यालय फर्नीचर	100
4	18–प्रकाशन	50
5	19–विज्ञापन,बिक्री एवं विख्यापन व्यय	150
6	26–मशीनें एवं सज्जा उपकरण एवं संयत्र	50
7	27–चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	200
8	29–अनुरक्षण	100
9	42–अन्य व्यय	100
10	44–प्रशिक्षण व्यय	100
11	45–अवकाश यात्रा व्यय	300
12	46–कम्प्यूटर हार्डवेयर / साफटवेटर का क्रय	100
13	47–कम्प्यूटर अनुरक्षण / तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	100
	योग	1750

(रूपया सत्रह लाख पचास हजार मात्र)

2. वित्तीय वर्ष 2004.05 में इसके पूर्ववर्ती वर्षो के एरियर भुगतान यदि कोई हों, के विवरण की सूचना प्रत्येक विभाग द्वारा अलग से रखी जायेगी।

3. बजट मैनुअल में निर्धारित प्रक्रिया के अधीन कोषागार के अधीन कोषागार द्वारा प्रमाणित वाउचर संख्या एवं दिनांक के आधार पर व्यय विवरण प्रपत्र बी0एम0–8 पर आहरण वितरण अधिकारी ठीक पूर्व माह की सूचना विभागाध्यक्ष को तथा प्रत्येक

Budget 2004-05

बी0एम0–13 पर 20 तारीख तक विभागाध्यक्ष द्वारा सूचना वित्त विभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेगें।

4. स्वीकृति धनराशि का व्यय शासन के वर्तमान सुसंगत आदेशों /निर्देशों के अनुसार किया जाय तथा किसी ऐसे कार्य/मद पर व्यय न किया जाय जिसके लिये वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल के अंतर्गत शासन /सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति अपेक्षित हो । ऐसा व्यय सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जाय।

5. प्रशासनिक व्यय में मितव्ययता संबंधी जारी आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाय।

6. निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में शासकीय स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

7. कम्प्यूटर के क्रय से पूर्व आई0टी0/एन0आई0सी0 के दिशा निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।

8. उक्त व्यय वर्ष 2004–05 में अनुदान संख्या–17 लेखाशीर्षक– 2401–फसल कृषि कर्म– 00– 001–निदेशन तथा प्रशासन–04– कृषि विभाग का सामान्य अधिष्ठान –आयोजनेत्तर –00–की सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

9. यह आदेश वित्त विभाग के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या 663/ वित्त–2/ दिनांक 15–09–2004 की सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा0पी0एस0गुसाईं)
अपर सचिव।

संख्या– 1736/xiii /04–5(18)04
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– महालेखाकार , उत्तरांचल , माजरा, देहरादून ।
2– आयुक्त गढ़वाल मंडल, पौड़ी/कुमायूँ मंडल, नैनीताल ।
3– समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
4– समस्त कोषाधिकारी, उत्तरांचल ।
5– समस्त मुख्य कृषि अधिकारी, उत्तरांचल ।
6– संयुक्त कृषि निदेशक गढ़वाल मंडल पौड़ी/कुमायूँ ।
7– वित्त अनुभाग–2।
8– गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

(डा0पी0एस0गुसाईं)
अपर सचिव।

budget 2004-05

160904003.pdf